भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-5294**
उत्तर दिनांक 25/03/2026 को दिया गया

## परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं

5294. श्री कल्याण बनर्जी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर), फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (एफबीआर), प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टरों (पीडब्ल्यूआर) और फ़्यूल साइकल फेसिलिटीज़ पर आधारित निर्माणाधीन और विद्युत आपूर्ति क्षमता के साथ आरंभ हो चुकी विभिन्न परमाणु विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी भारत में कोई परमाणु विद्युत परियोजना नहीं है जबकि ओडिशा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में थोरियम का विशाल भंडार है; और

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) को वीवीईआर-1000 विद्युत रिएक्टरों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराए जाने के बावजूद ऐसी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) वर्तमान में 3500 मेगावाट क्षमता के पांच पीएचडब्ल्यूआर निर्माणाधीन हैं और 5600 मेगावाट क्षमता के आठ पीएचडब्ल्यूआर पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन हैं। कुल 4000 मेगावाट की क्षमता के चार पीडब्ल्यूआर निर्माणाधीन हैं। ये परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक क्रमिक पूर्ण करने की योजना है।

भाविनि वर्तमान में कल्पाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना का कमीशनन कर रही है।

दो एकीकृत नाभिकीय पुनर्चक्रण सुविधाएँ - आईएनआरपी, तारापुर और एफआरएफसीएफ, कल्पाक्कम निर्माणाधीन है जिसमें क्रमशः दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) और द्रुत प्रजनक रिएक्टर (एफबीआर) के भुक्तशेष ईंधन हेतु पुनर्संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन और ईंधन संविरचन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर प्रकार के नाभिकीय रिएक्टरों के लिए 500 टीपीवाई ईंधन बंडल विनिर्माण की क्षमता के साथ एक परियोजना "एनएफसी कोटा" रावतभाटा, राजस्थान में कमीशनन/पूरा होने के अंतिम चरण में है।

(ख) वर्तमान में ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोई नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है।

(ग) पश्चिम बंगाल के हरिपुर में स्थल को वर्ष 2009 में सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की गई थी और रूसी परिसंघ के सहयोग से 1000 मेगावाट (नाममात्र क्षमता) की छह इकाइयां स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य अभी तक राज्य सरकार द्वारा शुरू नहीं किया गया है। इसलिए, परियोजना का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका।

*****